

13-4-23 वादी द्वारा पत्रावली को तलब करने बाबत
पार्थना-पत्र अर्न्तगत धारा 151 C.P.C.
पेश करने पर पत्रावली तलब की गई/वादी
स्वयं उपस्थित। वादी की पहचान वकील
वादी द्वारा की गई/वादी ने पहचान स्वरूप
आधार कार्ड सं. 992449651708 की स्व-
हस्ताक्षरित प्रति पेश की। वादी ने वाद
प्रत्याहरण करने बाबत पार्थना-पत्र अर्न्तगत
अध्याय 23 नियम। C.P.C. पेश किया। वादी
द्वारा प्रस्तुत पार्थना-पत्र (O. 23 R. 1) अनुसार
प्रकरण में वादी व प्रतिवादी के मध्य आपस
में राजीनामा हो गया है, इस कारण वादी
द्वारा उक्त प्रकरण में किसी प्रकार का अनु-
तोष शेष नहीं रहा है।

गौड़

Signature
Adv.

हमने प्रस्तुत पार्थना-पत्र पर
वादी व वकील वादी को सुना। चूंकि
राजीनामा हो जाने से वाद प्रत्याहरण
की अनुमति चाही गई है। अतः वादी
का वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली
फिसल नुमाव होकर नम्बर से बस लें।



उपसण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

13-4-23